संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश,मध्य प्रदेश, भोपाल

"कचनार" ई–5 पर्यावरण परिसर अरेरा कालोनी,हबीबगंज पुलिस थाना के पास,भोपाल–462016
E-mail: mptownplan@mp.gov.in/Phone: 0755 2427091, Fax - 0755 2427097

~:: आदेश ::~

भोपाल,दिनांक 25/3/02/2025

कमांक 1246 /विधि/रि.पि.–41560/आर.नं.–262/2025 याचिका कमांक : डब्ल्यू. पी. –41560/2024 गोवर्धन द्वारा पॉवर ऑफ अटार्नी श्री सदेश पुत्र रामचरण एवं अन्य विरूद्ध मध्य प्रदेश शासन एवं अन्य में माननीय उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश खण्डपीठ इन्दौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 9 जनवरी, 2025 के अनुक्रम में यह प्रकरण प्रस्तुत हुआ है ।

प्रकरण की संक्षेप में पृष्ठभूमि निम्नानुसार है :-

वादीगण द्वारा दिनांक 22.05.2024 को इन्दौर विकास योजना,2021 जो कि दिनांक 01.01.2008 को मध्य प्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 19 के अंतर्गत अंगीकृत होकर प्रभावशील है । जिसमें उनके स्वामित्व की भूमि ग्राम भानगढ़ तहसील जुनी इन्दौर जिला इन्दौर के खसरा कमांक–20/2/1,20/2/3, 21/1/2,25/2/2,25/4/1, 20/3/2,21/2/क,25/1,20/3,21/2 एवं 20/1/3 (पूर्व में खसरा कमांक– 20/2/1, 20/2/3,21/1/2,25/2पैकि,25/4 पैकि,20/3/ख,21/2/क,25/1, 20/3, 21/2 एवं 20/1/3) कमशः रकबा 0.085, 1.392, 1.497, 0.332, 0.762, 0.125, 0.125, 0.926, 1.047, 0.121 एवं 0.247 हेक्टेयर कुल रकबा 6.659 हेक्टेयर है । जिसमें उपर्युक्त भूमि का उपयोग "रेलवे स्टेशन के लिए यातायात मद में' प्रस्तावित किया गया है । ग्राम भानगढ़ और समीप के ग्राम कुमेड़ी में एक रेलवे स्टेशन कुमेड़ी रेलवे स्टेशन के नाम से बनाये जाने के प्रस्ताव के फलस्वरूप नगर तथा ग्राम निवेश द्वारा अनुमति नहीं दिये जाने के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया, जिसमें यह लेख किया गया कि विभाग द्वारा पत्र दिनांक 27.03.2024 रेलवे विभाग को लिखा गया था । रेलवे विभाग ने इस विषयक प्रत्युत्तर में प्राप्त पत्र कमांक– W5/MISC/VOL-IV/E-OFFICE FILE NO.192110 DATE 22/04/2024 द्वारा अवगत कराया गया है कि भानगढ़ एवं कुमेड़ी गांव में नया रेलवे स्टेशन बनाने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

यह कि उक्त को दृष्टिगत मध्य प्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 35 के प्रावधान अनुसार शीघ्र कार्यवाही की जाने एवं विपरीत निर्णय के पूर्व व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर देने की प्रार्थना की गई ।

उपर्युक्त आवेदन दिनांक 22.05.2024, 01.07.2024, 16.07.2024 एवं 13.08.2024 पर विचार कर निर्णय नहीं लिये जाने को चुनौती देते हुए माननीय उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश खण्डपीठ इन्दौर में याचिका कमांक–41560/2024 दायर की गई । माननीय न्यायालय द्वारा उक्त याचिका में विचारोपरांत दिनांक–09.01.2025 को आदेश पारित किये गये जिसका आपरेटिव पैरा निम्नानुसार है :–

In the available facts of the case, it is directed that the applications of the petitioner dated 22.05.2024, 01.07.2024, 16.07.2024 and 13.08.2024 collectively filed as Annexure P/12 be decided by the respondents within a period of three months from the date of receipt of certified copy of this order by passing a reasoned and a speaking order and by affording due opportunity of hearing to the petitioners. With the aforesaid, without expressing any opinion on merits,

माननीय उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश खण्डपीठ इन्दौर के उपरोक्त आदेश के अनुक्रम में श्री सदेश चौधरी पिता श्री रामचरणजी चौधरी निवासी ग्राम निरंजनपुर तहसील व जिला इन्दौर स्वयं एवं आम मुखत्यार तर्फे अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष में अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया । और चूंकि माननीय न्यायालय ने निर्णय लेने से पहले प्रतिवादियों को निर्देश दिया है, इसलिए आवेदक को भी सुनवाई का अवसर दिया जाएगा, इसलिए आवेदक को समक्ष में अपना मामला प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया । आवेदक दिनांक 19.02.2025 को अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष उपस्थित हुए और उल्लेखित विषय एवं संदर्भ में आवेदकगण की ओर से लिखित बहस हेतु निम्न तर्क प्रस्तुत किये गये–

1. यह कि आवेदकगण की कृषि भूमि ग्राम भानगड़ तहसील जुनी इन्दौर जिला इन्दौर के खसरा नंबर 20/2/1, 20/2/3, 21/1/2, 25/2/2. 25/4/1, 20/3/2, 21/2/क, 25/1, 20/3, 21/2 एवं 20/1/3 (पूर्व में खसरा नंबर 20/2/1, 20/2/3, 21/1/2, 25/2 पैकि, 25/4 पैकि 20/3/ख, 21/2/क, 25/1, 20/3, 21/2 एवं 20/1/3) क्रमशः रकबा 0.085, 1.392, 1.497, 0.332, 0.762, 0.125, 0.125, 0.926, 1.047, 0.121 एवं 0.247 हेक्टेयर कुल रकबा 6.659 हेक्टेयर भूमि है।
2. यह कि, इन्दौर मास्टर प्लान (इन्दौर विकास योजना) जो दिनांक 01/01/2008 से प्रभावशील है में उक्त भूमि का भूमि उपयोग "रेलवे स्टेशन के लिये यातायात मद में" अंकित है। जिसके कारण वर्ष 2008 से आवेदकगण की उपरोक्त भूमि की विकास अनुमति प्रतिबंधित है, क्योकि ग्राम भानगड़ और समीप के ग्राम कुमेड़ी में एक नया रेलवे स्टेशन कुमेड़ी रेलवे स्टेशन के नाम से बनाया जाना दर्शाते हुए इन्दौर विकास योजना, 2021 (इन्दौर मास्टर प्लान) में उक्त भूमियों का निर्धारित भूमि उपयोग "रेलवे स्टेशन के लिये यातायात मद में" अंकित होने के कारण भूमियों का विकास अवरूद्ध करके 16 वर्षों से उक्त भूमि का विकास करने की अनुमति नगर तथा ग्राम निवेश विभाग द्वारा नहीं दी जा रही है। जबकि वास्तव में रेलवे विभाग के द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत आवेदक के अभिभाषक श्री राम यादव एडव्होकेट को पत्र दिनांक 07/09/2021 को दी गई जानकारी के अनुसार
"लक्ष्मीबाई नगर और मांगलिया स्टेशन के मध्य भानगढ़ एवं कुमेड़ी में न तो किसी रेलवे स्टेशन का अभी कोई प्रस्ताव है और ना ही इस संबंध में रेलवे बोर्ड द्वारा कोई दिशा निर्देश जारी किया गया है। इसी प्रकार सूचना के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत आवेदक के अभिभाषक श्री एस.ए.अली एडव्होकेट को पत्र दिनांक 15/05/2023 को दी गई जानकारी के अनुसार
"इन्दौर जिले में स्थित लक्ष्मीबाई नगर और मांगलिया स्टेशन के मध्य भानगढ़ ग्राम एवं कुमेड़ी ग्राम में नया प्रस्तावित रेलवे स्टेशन बनाने का विगत 25 वर्षों में अथवा वर्तमान में या भविष्य में कोई प्रस्ताव या फाइल इस कार्यालय में नहीं है।"

उपरोक्त रेलवे विभाग के दोनों पत्र दिनांक 07/09/2021 एवं दिनांक 15/05/2023 प्रस्तुत किये गये ।

3. यह कि. ड्राफ्ट इन्दौर मास्टर प्लान, 2021 दिनांक 13/07/2006 को प्रभावशील हुआ जिसमें प्रश्नाधीन भूमि का भूमि उपयोग आवासीय रखा गया था। ड्राफ्ट इन्दौर मास्टर प्लान, 2021 में प्रस्तावित भूमि उपयोग दर्शाने की एक प्रति प्रस्तुत की गई ।

4. यह कि, आश्चर्यजनक रूप से दिनांक 13/07/2006 के पश्चात् अज्ञात कारणों से दिनांक 01/01/2008 को ड्राफ्ट इन्दौर मास्टर प्लान, 2021 को फाइनल करके इन्दौर मास्टर प्लान, 2021 प्रभावशील किया गया तब उक्त भूमि का इन्दौर मास्टर प्लान में भूमि उपयोग "रेलवे स्टेशन के लिये यातायात मद में" रिजर्व कर दिया।

5. रेलवे विभाग के उपरोक्त पत्र दिनांक 15/05/2023 के अवलोकन से स्पष्ट है कि, विगत 25 वर्षों में प्रश्नाधीन नया प्रस्तावित रेलवे स्टेशन बनाने का जब कोई प्रस्ताव ही नहीं था तब नगर तथा ग्राम निवेश विभाग द्वारा बिना किसी आधार के और बिना रेलवे विभाग के किसी प्रस्ताव के काल्पनिक नया रेलवे स्टेशन बनाने का प्रस्ताव करके उक्त भूमि का इन्दौर मास्टर प्लान में भूमि उपयोग "रेलवे स्टेशन के लिये यातायात मद में" रिजर्व कर दिया जिसका दण्ड आवेदक कृषको को यह मिला कि वे अपनी भूमि का कोई विकास विगत 18 वर्षों में करने से वंचित कर दिये गये और यह दण्ड निरंतर जारी है। जिसके कारण उनको निरंतर मानसिक प्रताड़ना और आर्थिक हानि हो रही है।

6. यह कि, दिनांक 01/01/2008 को प्रभावशील किये गये इन्दौर मास्टर प्लान (इन्दौर विकास योजना, 2021) में प्रश्नाधीन भूमि का भूमि उपयोग "रेलवे स्टेशन के लिये यातायात मद में" रिजर्व किया गया। इसके संबंध में सूचना के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत जानकारी प्राप्त की गई व नगर तथा ग्राम निवेश विभाग द्वारा इस विषयक आपको भेजे गये खसरा नं अनुसार नक्शे की प्रति संलग्न है जिसमें प्रश्नाधीन भूमि का भूमि उपयोग रेलवे स्टेशन के लिये यातायात मद में" और पास की भूमि का भूमि उपयोग आवासीय उपयोग के लिये किया जाना दर्शाया गया है, जिसे प्रस्तुत किया गया ।

7. यह कि, किसी अन्य भूमिस्वामी द्वारा समान प्रकरण में किये गये आवेदन के पश्चात् संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश विभाग, इन्दौर ने अपने पत्र दिनांक 04/09/2019 के द्वारा माननीय संचालक महोदय, नगर तथा ग्राम निवेश विभाग को उपरोक्त तथ्य की पुष्टि करते हुए लिखा था कि चूंकि कुमेडी रेलवे स्टेशन के नाम से रेलवे डिपार्टमेंट का कोई प्रस्ताव नहीं है। अतः उक्त भूमि का भू– उपयोग मास्टर प्लान 2021 में निर्धारित रेलवे स्टेशन यातायात उपयोग हेतु निरस्त करने पर विचार किया जा सकता है। उपर्युक्त पत्र दिनांक 04/09/2019 प्रस्तुत किया गया ।

8. यह कि, इन्दौर विकास प्राधिकारी ने भी उक्त भूमि के संबंध में अपने पत्र दिनांक 24/01/2022 के दो पत्रों द्वारा एवं दिनांक 08/01/2025 के एक पत्र द्वारा निरंतर प्रमाणित किया है कि, प्रश्नाधीन भूमि इन्दौर विकास प्राधिकरण की योजना में समाविष्ट नहीं है। इन तीनों पत्रों की प्रतियां प्रस्तुत की गई है ।

9. यह कि, आवेदकगण द्वारा अपनी भूमि के बाबत मध्य प्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (संक्षेप में अधिनियम, 1973) के धारा–35 प्रावधान अनुसार प्रकरण का निराकरण करके आवेदकगण की प्रश्नाधीन भूमि का भूमि उपयोग इन्दौर विकास योजना, 2021 (इन्दौर मास्टर प्लान) में रेलवे स्टेशन के लिये यातायात मद में" से हटाकर उसे निरस्त करके आवेदकगण की भूमि का भूमि उपयोग पास ही लगी हुई भूमि के भूमि उपयोग के समान आवासीय एवं मार्ग करने का निवेदन करते हुए कई पत्र एवं स्मरण पत्र भेजे गये, किन्तु उनका कोई जवाब माननीय संचालक महोदय, नगर तथा ग्राम निवेश विभाग, म.प्र. से या माननीय प्रमुख सचिव महोदय, नगरीय विकास एवं

आवास विभाग, म.प्र. से प्राप्त नहीं होने पर आवेदकगण ने मजबूरन माननीय उच्च न्यायालय, इन्दौर के समक्ष रिट याचिका क्रमांक 14341/2022 प्रस्तुत की गई, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 01/07/2022 के द्वारा माननीय प्रमुख सचिव, नगरीय विकास एवं आवास विभाग, म.प्र. शासन को आदेशित किया कि, याचिकाकर्ता (आवेदक) द्वारा अधिनियम, 1973 की धारा 35 के अंतर्गत प्रस्तुत अभ्यावेदन का निराकरण आदेश प्राप्ति दिनांक से 2 माह की अवधि में करें। इस आदेश दिनांक 01/07/2022 की प्रति को प्रस्तुत किया गया ।

10. यह कि, माननीय प्रमुख सचिव, नगरीय विकास एवं आवास विभाग मप्र के द्वारा अपने आदेश क्रमांक यू.डी.एच./3/0019/2022/18–5. भोपाल दिनांक 26/05/2023 के द्वारा यह मान्य करते हुए कि धारा 35 के तहत कार्यवाही राज्य सरकार समुचित प्राधिकारी से निवेदन प्राप्त होने पर कर सकेगी ऐसे प्रावधान है। प्रश्नाधीन प्रकरण में भारतीय रेलवे समुचित प्राधिकारी है एवं उनसे इस प्रकार का निवेदन प्रस्ताव प्राप्त होने पर धारा 35 के तहत कार्रवाई किया जाना संभव है। आदेश दिनांक 26/05/2023 प्रति को प्रस्तुत किया गया ।

11. यह कि, इसके पश्चात् माननीय प्रमुख सचिव नगरीय विकास एवं आवास विभाग, म.प्र. के द्वारा रेलवे विभाग को उपरोक्त विषयक तथ्यों का एवं माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 01/07/2022 का उल्लेख करते हुए पत्र दिनांक 27/03/2024 लिखा जिसके प्रत्युत्तर में रेलवे विभाग द्वारा पत्र क्रमांक W5/MISC/VOL&IV/E&Office File no- 192110 Date 22/04/2024 लिखा कि "इन्दौर जिले में स्थित लक्ष्मीबाई नगर और मांगलिया स्टेशन के मध्य में भानगढ़ एवं कुमेडी ग्राम में इन्दौर देवास–उज्जैन दोहरिकरण कार्य में नया रेलवे स्टेशन बनाने का कोई प्रस्ताव नहीं है तथा कार्यालय के दिनांक 19/08/2019 के पत्र द्वारा पहले दी गई जानकारी की प्रति संलग्न है।" उक्त पत्र दिनांक 22/04/2024 प्रति को प्रस्तुत किया गया ।

12. यह कि, आवेदकगण द्वारा उपरोक्त पत्र दिनांक 22/04/2024 के पश्चात् कार्यवाही अधिनियम, 1973 की धारा 35 के अंतर्गत करने हेतु आवेदन पत्र दिये गये एवं तत्पश्चात् माननीय उच्च न्यायालय, इन्दौर के समक्ष रिट याचिका क्रमांक 41560/2024 प्रस्तुत की जिसमें माननीय उच्च न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 09/01/2025 के द्वारा आदेशित किया कि, याचिकाकर्ता (आवेदक) द्वारा प्रस्तुत अधिनियम, 1973 की धारा 35 के अंतर्गत आवेदन पत्रों का निराकरण आदेश प्राप्ति दिनांक से 3 माह की अवधि में कारण सहित स्पीकिंग ऑर्डर प्रदान करके किया जाये।

13. यह कि, आवेदकगण द्वारा आम मुखत्यार श्री सदेश चौधरी को उपरोक्त भूमि के संबंध में कार्यवाही हेतु अपना आम मुखत्यार नियुक्त करते हुए दिये गये तीनों आम मुखत्यार नामा दिनांक 04/02/2022, 12/03/2022 एवं 03/08/2024 की प्रति को प्रस्तुत किया गया ।

13. यह कि, उपरोक्त तथ्यों के प्रकाश में स्पष्ट है कि, इन्दौर जिले में स्थित भानगढ़ एवं कुमेडी ग्राम में नया रेलवे स्टेशन बनाने का कोई प्रस्ताव नहीं है और इन्दौर विकास योजना, 2021 (इन्दौर मास्टर प्लान) में प्रश्नाधीन भूमि का भूमि उपयोग निराधार कारणों से "रेलवे स्टेशन के लिये यातायात मद में" रखने का प्रस्ताव हटाकर उसे निरस्त करके आवेदकगण की भूमि का भूमि उपयोग समीपस्थ भूमि के भूमि उपयोग के समान आवासीय एवं मार्ग करने हेतु विधि अनुसार अधिनियम, 1973 की धारा 35 के अंतर्गत कार्यवाही करके किया जाना न्याय हित में आवश्यक है।

14. अधिनियम, 1973 की धारा 35 में उल्लेखित है कि, समुचित प्राधिकारी को यदि यह समाधान हो जाये कि भूमि की ऐसे लोक प्रयोजन के लिये, जिसके लिये वह अंतिम विकास योजना में रिजर्व की गई है और अधिक आवश्यकता नहीं हो तो वह ऐसे रिजर्वेशन को अंतिम विकास योजना से निकाल देने की मंजूरी देने के लिये संचालक या राज्य सरकार से निवेदन कर सकेगा और संचालक अथवा राज्य सरकार आवश्यक जांच के पश्चात् यदि ऐसे रिजर्वेशन की लोक हित में और अधिक आवश्यकता नहीं है तो ऐसे रिजर्वेशन के भूमि उपयोग को मास्टर प्लान से निकाल दिये जाने की मंजूरी देते हुए आदेश कर सकेंगे एवं ऐसे आदेश के पश्चात् भूमि रिजर्वेशन से मुक्त हुई समझी

जायेगी और वह पार्श्वस्थ भूमि के मामले में सुसंगत योजना के अधीन अन्यथा अनुज्ञेय विकास के प्रयोजन के लिये भूमि स्वामी को उपलब्ध हो जायेगी।

15. उपरोक्त तथ्यो एवं वैधानिक स्थिति के प्रकाश में स्पष्ट है कि, इन्दौर विकास योजना, 2021 (मास्टर प्लान) में प्रश्नाधीन भूमि में नया रेलवे स्टेशन बनाने के लिये भूमि उपयोग रिजर्व करने की आवश्यकता न तो पहले थी और न आज है और भूमि का मास्टर प्लान में उपयोग नये रेलवे स्टेशन के लिये यातायात मद में रिजर्वेशन के लिये भूमि उपयोग को हटाना/निरस्त करना न्यायहित में आवश्यक है।

आवेदकगण द्वारा उपरोक्त वर्णित प्रश्नाधीन भूमि का भूमि उपयोग इन्दौर विकास योजना, 2021 (मास्टर प्लान) में निर्धारित "रेलवे स्टेशन के लिये यातायात मद में" से हटाकर उसे निरस्त और निर्मुक्त करके आवेदक की उपरोक्त वर्णित भूमि का भूमि उपयोग समीपस्थ भूमि के भूमि उपयोग अनुसार आवासीय एवं मार्ग करने हेतु विधि अनुसार म.प्र. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 35 के अंतर्गत वांछित आदेश प्रदान करके आवेदक की भूमि के आवासीय उपयोग हेतु कॉलोनी के ले–आउट प्लान स्वीकृत करने हेतु माननीय संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश विभाग, इन्दौर को आदेश प्रदान करने की अपेक्षा/मांग की गई ।

आवेदकगण के उपरोक्तानुसार प्रस्तुत आधारों पर विचार एवं मनन किया गया । यह सत्य है कि कतिपय कारणों से आवेदकगण द्वारा कम समय में अनेक बार राज्य शासन व संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश मध्य प्रदेश को प्रश्नाधीन भूमि को धारा–35 के तहत योजना से मुक्त किये जाने हेतु निवेदन किया गया है । वस्तुतः इस बिन्दु पर सूक्ष्मतः से देखने से ज्ञात होता है कि आवेदक के आवेदन दिनांक 22.05.2024 पर समुचित रीति से कार्यवाही की जा चुकी है ।

जैसा कि राज्य शासन को, उनके पत्र कमांक–यूडीएच–3/0019/2022/18–5 दिनांक 14.05.2024 एवं आवेदक के आवेदन दिनांक 22.05.2024 के तारतम्य में यह प्रतिवेदित किया जा चुका है कि– अधिनियम की धारा 35 में प्रावधान है कि समुचित प्राधिकारी यदि उसका यह समाधान हो जाए कि भूमि की ऐसे लोक प्रयोजन के लिए जिसके लिए वह प्रारूप विकास योजना या परिक्षेत्रिक योजना में या अंतिम विकास योजना या परिक्षेत्रिक योजना में विहित या आरक्षित या आवंटित की गई हो और अधिक आवश्यकता नहीं हो तो वह ऐसे अभिधान या आरक्षण या आवंटन को निकाल दिए जाने की मंजूरी देते हुए आदेश दे सकेगा। वर्तमान में इंदौर विकास योजना, 2021 के पुनर्विलोकन का कार्य किया जा रहा है तथा निकट भविष्य में पुनरीक्षित इंदौर विकास योजना (प्रारूप) का प्रकाशन किया जाना है। अतः ग्राम भानगढ़ एवं कुमेडी में प्रस्तावित रेल्वे स्टेशन के संबंध में शासन के संदर्भित पत्र दिनांक 14/05/2024 के साथ संलग्न उप मुख्य अभियंता (सामान्य), पश्चिम रेल्वे के पत्र दिनांक 22/04/2024 में उल्लेखित भानगढ़ एवं कुमेडी रेल्वे स्टेशन के भूमि उपयोग में गुण–दोष के आधार पर विचार करने अथवा म.प्र. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 35 के अन्तर्गत शासन पर निर्णय लिया जाना उचित होगा।

यह भी उल्लेखनीय है कि आवेदन का निराकरण मध्य प्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 धारा–35 के प्रावधान के तहत वांछित किया गया जो कि निम्नानुसार है :–

35 (1) समुचित प्राधिकारी, यदि उसका यह समाधान हो जाय, कि भूमि की ऐसे लोक प्रयोजन के लिए जिसके लिए वह प्रारूप विकास योजना या परिक्षेत्रिक योजना में या अंतिम विकास योजना या परिक्षेत्रिक योजना में अभिहित या आरक्षित या आवंटित की गयी हो, और अधिक आवश्यकता नहीं है, तो वह

(क) ऐसे अभिधान या आरक्षण या आवंटन को प्रारूप विकास योजना या परिक्षेत्रिक योजना में से निकाल दिये जाने की मंजूरी देने के लिए संचालक से निवेदन कर सकेगा, या

(ख) ऐसे अभिधान या आरक्षण या आवंटन को अंतिम विकास योजना या परिक्षेत्रिक योजना में से निकाल दिये जाने की मंजूरी देने के लिए राज्य सरकार से निवेदन कर सकेगा।

(2) समुचित प्राधिकारी से ऐसा निवेदन प्राप्त होने पर संचालक या जैसी भी कि दशा हो, राज्य सरकार सुसंगत योजनाओं में से ऐ से अभिधान या आरक्षण या आवंटन को निकाल दिये जाने की मंजूरी देते हुए आदेश दे सकेगा/दे सकेगी :

परन्तु संचालक, या जैसी कि दशा हो, राज्य सरकार, कोई आदेश देने के पूर्व ऐसी जांच कर सकेगा/कर सकेगी, जैसी कि वह आवश्यक समझे और अपना यह समाधान कर सकेगा/कर सकेगी कि ऐसे आरक्षण या अभिधान या आवंटन की लोकहित में और अधिक आवश्यकता नहीं है।

(3) उपधारा (2) के अधीन आदेश दिया जाने पर भूमि ऐसे अभिधान, आरक्षण या जैसी भी कि दशा हो, आवंटन से निर्मुक्त हुई समझी जायेगी और वह पार्श्वस्थ भूमि के मामले मे सुसंगत योजना के अधीन अन्यथा अनुज्ञेय विकास प्रयोजन के लिए स्वामी को उपलब्ध हो जायेगी।

यह कि भूमि ग्राम भानगढ़ तहसील जुनी इन्दौर जिला इन्दौर के खसरा नंबर 20/2/1, 20/2/3, 21/1/2, 25/2/2, 25/4/1, 20/3/2, 21/2/क, 25/1, 20/3, 21/2 एवं 20/1/3 (पूर्व में खसरा नंबर 20/2/1, 20/2/3, 21/1/2, 25/2 पैकि, 25/4 पैकि 20/3/ख, 21/2/क, 25/1, 20/3, 21/2 एवं 20/1/3) क्रमशः रकबा 0.085, 1.392, 1.497, 0.332, 0.762, 0.125, 0.125, 0.926, 1.047, 0.121 एवं 0.247 हेक्टेयर कुल रकबा 6.659 हेक्टेयर भूमि है । इस अभ्यावेदन में उल्लेखित की गई उपर्युक्त प्रश्नाधीन कृषि भूमि राज्य शासन द्वारा मध्य प्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा–19 के तहत अंगीकृत की गई इन्दौर विकास योजना, 2021 में स्थित होती है जिसका भूमि उपयोग रेलवे स्टेशन के लिए यातायात मद में अंकित है ।

उपर्युक्त फलस्वरूप इस पर अधिनियम की धारा 35 (1) (क) के प्रावधान प्रभावशील नहीं होते हैं जिसके फलस्वरूप योजना में से भूमि को निकाल दिये जाने की मंजूरी देने के लिए संचालक से किये गये निवेदन पर कोई आदेश पारित किया जाना संभव नहीं है ।

इस संबंध मे अधिनियम की धारा 35 (1) (ख) के प्रावधान प्रभावशील होते हैं । जिसके फलस्वरूप ऐसी भूमि जो कि, अंतिम विकास योजना या परिक्षेत्रिक योजना में अभिहित या आरक्षित या आवंटित की गयी हो योजना में से निकाल दिये जाने की मंजूरी देने के लिए निवेदन राज्य सरकार से कर सकेगा।

यह कि याचिकाकर्ताओं द्वारा अभ्यावेदन के साथ एनेक्चर–2 में इन्दौर विकास योजना में वर्ष 1996 से 2007 तक किये गये उपांतरण के सारणी को संलग्नित किया गया है जो कि अधिनियम की धारा 23 के तहत प्रस्तावित किये गये हैं । साथ रेलवे विभाग से सूचना के अधिकार के तहत प्राप्त जानकारी की प्रति दिनांक 15.05.2023 की प्रति संलग्नित की गई है जिसमें भानगढ़ एवं कुमेढ़ी ग्राम में नया प्रस्तावित रेलवे स्टेशन बनाने की वर्तमान एवं आगामी वर्षों प्रस्ताव की फाईल उपलब्ध नहीं होने का लेख किया गया है ।

यहाँ यह उल्लेखनीय है कि 17 याचिकाकर्ताओं की यह भूमि 11 खसरा कमांक में कुल रकबा 6.659 हेक्टेयर हो रही है । जिसके फलस्वरूप इन्दौर विकास योजना, 2021 में स्थित भूमि उपयोग रेलवे स्टेशन के लिए यातायात मद में अन्य खसरा कमांक एवं रकबा की भूमि भी सम्मिलित होने से इंकार नहीं किया जा सकता है । अधिनियम की धारा 35 (1) (क) एवं 35 (2) के नीचे परंतु के प्रावधान लागू नहीं होते हैं ।

आवेदक के आवेदन 22.05.2024 पर राज्य शासन को समान प्रकृति के प्रकरण में भूमि के रकबा को दृष्टिगत गुण–दोष के आधार पर इन्दौर विकास योजना के पुनर्विलोकन के दौरान रेलवे स्टेशन भूमि को उपांतरित किये जाने करने अथवा म.प्र. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 35 के अन्तर्गत शासन पर निर्णय लिये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया है । साथ ही संचालनालय के पृष्ठांकन कमांक–52 दिनांक 08.01.2025 द्वारा कृत कार्यवाही आवेदक को उनके आवेदन के परिप्रेक्ष्य में संसूचित की जा चुकी है ।

इस प्रकरण की विधिक स्थिति यह है कि निजी व्यक्ति द्वारा मध्य प्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 35 (1) एवं (ख) के अधीन कार्यवाही हेतु आवेदन समुचित प्राधिकारी, संचालक या राज्य शासन को सीधे प्रस्तुत कर दिया जाता है, तो समुचित प्राधिकारी ऐसे आवेदन पर विचार कर धारा 35 (1) के अनुरूप अपना समाधान करते हुए संचालक या राज्य शासन निजी व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत आवेदन को समुचित प्राधिकारी को धारा 35 (1) एवं (ख) के अधीन कार्यवाही हेतु प्रेषित कर सकते है । जिस पर विचार उपरांत समुचित प्राधिकारी धारा 35 (1) एवं (ख) के अधीन कार्यवाही हेतु संचालक या राज्य सरकार से, धारा 35 (1) के अधीन अपना उपरोक्त समाधान लेख करते हुए निवेदन कर सकता है, जिस पर संचालक/राज्य शासन जैसी भी स्थिति हो, निर्णय कर सकता है ।

उपर्युक्त अवलोकन के फलस्वरूप यह स्पष्ट है कि प्रश्नाधीन भूमि राज्य शासन द्वारा मध्य प्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा–19 के तहत अंगीकृत इन्दौर विकास योजना, 2021 में स्थित होती है, जिसका भूमि उपयोग रेलवे स्टेशन के लिए यातायात मद में प्रस्तावित किया गया है ।

यह कि उपर्युक्त प्रश्नाधीन भूमि पर मध्य प्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 35 (1) (क) के प्रावधान प्रभावशील नहीं होते हैं, जिसके फलस्वरूप योजना में से प्रश्नाधीन भूमि को निकाल दिये जाने की मंजूरी देने के लिए संचालक से किये गये निवेदन पर अधिकारिता निहित नहीं होने से कोई आदेश पारित किया जाना संभव नही है । अतएव, अधोहस्ताक्षरकर्ता एतद् द्वारा आवेदक श्री गोवर्धन एवं अन्य तर्फे आम मुखत्यार श्री सदेश चौधरी, निवासी ग्राम निरंजनपुर, जिला इन्दौर का अभ्यावेदन अमान्य करता है ।

उपरोक्तानुसार प्रकरण निराकृत किया जाता है ।

(श्रीकांत बनोठ)
आयुक्त सह संचालक
नगर तथा ग्राम निवेश मध्य प्रदेश, भोपाल

1249

पृ.कमांक /विधि/रि.पि.–41560/आर.नं.–262/2025 भोपाल,दिनांक 25/3/02/2024

प्रतिलिपि :–

1. प्रमुख सचिव, मध्य प्रदेश शासन, नगरीय विकास एवं आवास विभाग, भोपाल की ओर रिट पिटीशन कमांक–41560/2024 पारित आदेश दिनांक 09.01.2025 के तारतम्य में कृपया सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।
2. संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला इन्दौर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।
3. संयुक्त संचालक(तकनीकी शाखा/विकास योजना शाखा), संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश, भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
4. सर्व संबंधित द्वारा श्री गोवर्धन द्वारा पॉवर ऑफ अटार्नी श्री सदेश पुत्र रामचरण एवं अन्य, निवासीगण ग्राम निरंजनपुर, जिला इन्दौर को सूचनार्थ प्रेषित ।
5. सहायक संचालक(सूचना प्रौद्योगिकी), संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश, भोपाल की ओर वेबसाईट पर प्रदर्शित किये जाने हेतु ।

आयुक्त सह संचालक
नगर तथा ग्राम निवेश मध्य प्रदेश, भोपाल